26-08-25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है तथा इस न्यायालय में जारी टी. आई. दिनांक 09.06.2025 भी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल किया गया नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/364

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:47:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 144

दायरा दिनांक : 09.06.2025

G.C.M.S. No. : 2025/364

हरभजनचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. आशा रानी
2. गुरप्रीत चंद
3. गुरसेवक चंद

} पुत्र/पुत्री सतनामचन्द अकवाम कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

4. मिलखराज पुत्र बलियाराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. प्रदीप कुमार
6. प्रवीण कुमार

} पुत्रगण राजाराम अकवाम कम्बोज निवासीयान मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

7. जगसीर कुमार
8. मनोहरलाल

} पुत्रगण हजाराम अकवाम कम्बोज निवासीयान मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़
10. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सिंचाई विभाग, सूरतगढ़ (आदेश दिनांक 16.06.2025 से पक्षकार संयोजित)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री कुलविन्द्र सिंह, अभिभाषकगण प्रार्थी
2. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 05
3. सहायक अभियंता,सूरतगढ़ शाखा जल संसाधन उपखण्ड अप्रार्थी सं.10 (प्रभारी अधिकारी)

निर्णय

दिनांक : २६.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ में वाके चक 1 एम.एन.डब्लयू.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 82/51 के पत्थर नं. 96/326 (18) के किला नं. 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2=0.380 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 97/326 (19) के किला नं. 4—5—7 की 0.759 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.139 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं.1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में वाके चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:47:24 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1 एम.एन.डब्लयू.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/57 के पत्थर नं. 97/326 (19) के किला नं. 1/1, 2–3, 21/2, 22/1=0.814 हैक्टर कमाण्ड भूमि में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 के नाम से वाके चक 1 एम.एन.डब्लयू.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 56/47 के पत्थर नं. 97/326 (19) के किला नं. 8–9, 10/1, 11/1, 12–13=1.391 हैक्टर कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी संख्या 5–6 के नाम संयुक्त खाता में इसी चक के खाता संख्या 36/59 के पत्थर नं. 96/326 (18) के किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/2=1.746 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 97/326 (19) के किला नं. 17/0.253, 24/0.253= 0.506 हैक्टर कमाण्ड/अ.क. इस प्रकार कुल 2.252 हैक्टर कमाण्ड/अ.क. मय खाला में 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व अप्रार्थी संख्या 7–8 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 36/59 के पत्थर नं. 96/326 (18) के किला नं. 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2=1.240 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 97/326 (19) के किला नं. 6, 14 ता 16, 25=1.265 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 2.505 हैक्टर कमाण्ड मय खाला में 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी ने अपने नाम के रकबा को कड़ी मेहनत से काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8, प्रार्थी के खेत के पड़ौसी काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के चिपता रकबा की आड़ में प्रार्थी के नाम की भूमि में घुसने की फिराक में है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी रकबा में से जबरन आड़ निकालने की फिराक में है। इसलिये अप्रार्थीगण जरिये निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीया को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के नाम अंकित खातेदारी रकबा चक 1 एम.एन.डब्लयू.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 82/51 के पत्थर नं. 96/326 (18) की 0.380 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 97/326 (19) की 0.759 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.139 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि में अप्रार्थीगण किसी तरह की दखलदांजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 5 व अभिभाषक श्री राजवीर भादू दिनांक 04.07.2025 को उपस्थित आये। दिनांक 19.08.2025 को अप्रार्थी सं. 1 ता 4, 6 ता 8 बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये वकील एवं अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से प्रभारी अधिकारी ने जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jat Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 1 एम.एन.डब्लयू.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 82/51 के पत्थर नं. 96/326 (18) के किला नं. 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2=0.380 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 97/326 (19) के किला नं. 4–5–7 की 0.759 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.139 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी के खातेदारी रकबा के चिपता अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 का खातेदारी रकबा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 चिपता रकबा होने से प्रार्थी के खातेदारी रकबा में जबरन घुसने की फिराक में है तथा अप्रार्थी संख्या 10 के साथ मिलीभगती कर जबरन सिंचाई आड़ निकालने की फिराक में है। इससे बाद वकील प्रार्थी ने मौखिक निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सिंचाई आड़ जो स्वीकृत नही है उसे जबरन निकालने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जो कथन किया गया है वह निराधार है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की आड़ में अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी भूमि में सिंचाई सुविधा की आड़ को नष्ट कर पानी से वंचित करना चाहते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदांजी नही करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 1 एम.एन.डब्लयू.एम. के पत्थर नं. 97/326 के किला नं. 5 में बनी कच्ची आड़ से होती आ रही थी। उक्त कच्ची आड़ को प्रार्थी तथा हरमेश पुत्र रामचन्द्र द्वारा तोड़ दिया गया। जिस पर प्रार्थी के पिता के आवेदन पर अधिशाषी अभियंता, सूरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन खण्ड–प्रथम के द्वारा दिनांक 10.06.2025 को आदेश पारित करते हुए किला नं. 5 की आड़ को सुचारू से चालू करने के आदेश सहायक अभियंता, सूरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन खण्ड को दिये गये। प्रार्थी द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 5 को सिंचाई सुविधा से वंचित करने की नियत से लिया गया है। उक्त स्थगन भी खाला, रास्ता व अवाप्ति आदि की क[illegible] लागू नही है। पानी नही लगने से अप्रार्थी नं. 5 की फसल खराब हो रही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर स्थगन आदेश निरस्त करके [illegible] के आदेश फरमावें तथा प्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वे अप्रार्थी नं. 5 की खातेदारी भूमि की सिंचाई की सुविधा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

अप्रार्थी सं. 10 की ओर से सहायक अभियन्ता, सूरतगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ़ ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रकबा मु.न. 97/326 में 5.00 बीघा व मु.नं. 96/326 में 5.18 बीघा कुल 10.18 बीघा की बारी मु.नं. 97/326 के नाका किला नं. 5 पर बनी हुई है। मु.नं. 97/326 के किला नं. 5–6–15 ता 17 में कच्ची आड़ चल रही थी। जिसे प्रार्थी द्वारा मु.नं. 97/326 के किला नं. 5 में बनी कच्ची आड़ मिटा दिये जाने से अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा अवरूद्ध हो गयी है। सिंचाई सुविधा के लिये अप्रार्थीगण सिंचाई आड़ प्राप्त करने के अधिकारी है। सिंचाई नियमों के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के रकबा की सिंचाई हेतु नियमानुसार आड़ दिलाये जाने हेतु प्रतिबद्ध है तकि अप्रार्थीगण के रकबा को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सके तथा खड़ी फसल का नुकसान ना हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को वितर्को के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र सहित पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। इस आदेश के द्वारा इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। जिस हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय देना है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला।
2. सुविधा का संतुलन।
3. अपूरणीय क्षति।

इन बिन्दुओं पर न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है:–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामले को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। प्रथम दृष्टया मामलें के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रश्न रखा हो, जिसमें न्यायालय को विचारण की आवश्यकता हो। इस संबंध में मूल वाद प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खातेदारी भूमि में दखलदांजी ना करने की घोषणा करने का है। उक्त प्रार्थन पत्र के माध्यम से प्रार्थी का यह कथन रहा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपते काश्तकार है। चिपता रकबा की आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खातेदारी रकबा में घुसने की चेष्टा कर रहे है। किन्तु प्रार्थी ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह साबित हो कि उनका प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अप्रार्थी नं. 10 द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया गया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

प्रार्थी द्वारा मु.नं. 97/326 के किला नं. 5 में बनी कच्ची आड़ मिटा दिये जाने से अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा अवरूद्ध हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई सुविधा बहाल करने की कार्यवाही की गई है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की आड में सिंचाई सुविधा को रोकना चाहता है। प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति

सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिन्दुओं का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया गया है। ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रसारित नही किये जा सकते है। जिस कारण उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

चूंकि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आधारहीन होने तथा साबित नही होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 निरस्त किया जाता है एवं दिनांक 09.06.2025 को जारी अस्थाई अंतरिम निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है।

आज दिनांक 26.08.2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:47:24 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)